रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092021-230072 CG-DL-E-30092021-230072

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560] No. 560] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/आश्विन 8, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 78/2021-सीमाश्ल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 677(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उपधारा (3) और धारा 158 की उपधारा (2) के साथ पिठत धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ. -** (1) इन विनियमों को सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (आठवाँ अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2021 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. उक्त विनियमों में, विनियम 15 में;
 - (क) उपविनियम (2) में, शब्द, अंक और अक्षर "30 सितम्बर, 2021 तक" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "31 दिसंबर, 2021 तक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 450/58/2015-सीमाशुल्क IV (पार्ट)]

मनीष कुमार चौधरी, अवर सचिव

5545 GI/2021 (1)

टिप्पणी: इस प्रधान विनियमावली को सा.का.िन. 448(अ), दिनांक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 70/2021-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 31 अगस्त सा.का.िन. 606(अ), दिनांक 31 अगस्त के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 78/2021-Customs (N.T.)

G.S.R. 677(E).—In exercise of the powers conferred by section 157, read with sections 30, 30A, 41, 41A, 53, 54, 56, sub-section (3) of section 98 and sub-section (2) of section 158 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations further to amend the Sea Cargo Manifest and Transhipment Regulations, 2018, namely: -

- 1. Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Sea Cargo Manifest and Transhipment (Eighth Amendment) Regulations, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the said regulations, in regulation 15,
 - a. in sub-regulation (2), for the words, figures and letters, "till 30th September, 2021", the words, figures and letters, "till 31st December 2021" shall be substituted.

[F. No. 450/58/2015- Cus IV(Pt)]

MANISH KUMAR CHOUDHARY, Under Secy.

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (i) vide number G.S.R. 448(E), dated the 11th May, 2018 and were last amended vide notification No. 70/2021-Customs (N.T), dated the 31st August, 2021 vide number G.S.R. 606(E), dated the 31st August, 2021.